2023/36

APP-1
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम-26)

अज अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर ,बालोतरा **बमुकाम** बालोतरा

खेताराम **बनाम** तहसीलदार गिड़ा व अन्य

किस्म मुकदमा अपील अन्तर्गत धारा 225 भू का. अधि. 1955 **नं.** 27/2023 **सन्** 2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.6.23	अपीलान्ट के वकील श्री नरपत पूनड उपस्थित। अपीलान्ट की ओर से यह अपील धारा 225, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत तहसीलदार गिडा द्वारा पारित आदेश क्रमांक शिविर/2004/341 दिनांक 28.12.2004 के विरुद्ध इस न्यायालय में पेश की गई है। अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट की अपील मियाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर हों। उत्तरदातागण जरिये नोटिस तलब हों एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जावें। पत्रावली वास्ते तलबी उत्तरदाता, अपीलाधीन अभिलेख आईंदा दिनांक 13/9/23 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलेक्टर बालोतरा	
13/7/23	पत्रावली पेश हुई। अपीलार स्वंय एव उनके अधिवक्ता उप. उत्तरदातागण 2 से 9 उप। अपीलार अधिवक्ता व उत्तरदाता सेस्था 2 से 9 द्वारा शीघ्र सुनवाई बाबत् प्रार्थना पत्र मय राजीनामा पेश किया जो मिसल शामिल हो। अपीलार स्वयं खेताराम एवं उत्तरदातागण सं. 2 से 9 उप. निवेदन किया गया कि उनके खेतों का सहमती विभाजन तह. गिडा द्वारा किया गया था जिसकी तरमीम करने पर अपीलार व उत्तरदाता सं. 2 से 9 के रहवासी ढाणियां रांके इत्यादी प्रभावित है इसलिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार पुनः बटवारा किया जावें अपीलार व उत्तरदातागण की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया विस्तृत निर्णय अलग से लिख वाया जाकर खुले न्यायालय में फैसला सुनाया गया अतिरिक्त जिला कलेक्टर	खेताराम उ.वि. खेताराम उ.वि. बाबूराम ओमाराम उ.वि. राधादेवी दीपाराम कृष्णाराम उ.वि. [illegible]